

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग,

फायर ब्रीड कैम्पस, लोदीपुर, पटना

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. निविदा-पत्रिका का मूल्य
2. परिमाण विषय किन्हीं का अंतिम निविदा और समय
3. निविदा पत्रिका की किन्हीं और समय
4. निविदा पत्रिका की किन्हीं और समय
5. परिमाण विषय किन्हीं का अंतिम और कार्यवाही

कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना

12.12.2017 को अपराह्न 01.00 बजे तक।

13.12.2017 को 03.00 बजे अपराह्न तक।

13.12.2017 को 03.30 बजे अपराह्न तक।

(क) अधीक्षण अभियंता, केंद्रीय अंचल

पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।

(ख) कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल

पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।

(ग) समयानुसार प्रमंडल पर्यवेक्षक, नई राजधानी पथ प्रमंडल पथ 1, 2 एवं

पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।


कार्यपालक अभियंता

6. निविदा पत्रिका का अंतिम कार्यवाही
7. कार्य का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रामाणिकता राशि (लाख में)	अवकाश की राशि (₹ में)	परिमाण विषय का मूल्य (₹ में)	कार्य समाप्ति की अवधि	आवृत्ति
1	Beautification of LG-P.G, Link Road (D) for the year 2017-18.	₹ 1486000/-	₹ 200000/-	₹ 25000/-	21 दिन	अवकाशित
2	F/R work of Kankarbagh Section office with Godown for the year 2017-18.	₹ 96254/-	₹ 20000/-	₹ 5000/-	30 दिन	अवकाशित
3	Renovation of Portico and Garrage of Division Office and Quarter Section in the campus of Road Capital Division for the year 2017-18.	₹ 1053921/-	₹ 210000/-	₹ 25000/-	30 दिन	अवकाशित

नियम सुचनाएँ

1. पथ निर्माण विभाग का सुविधा पत्रों में निम्नलिखित अद्यतन नवीनीकृत संस्करण ही निविदा में माग हो सकते हैं।
2. नगरों के प्राथमिकता राशि घट या बढ़ सकती है, तदनुसार अवकाश की राशि एवं परिमाण विषय के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है विहित नियम जाने वाले परिमाण विषय निविदा अवकाश में प्रामाणिकता राशि, अवकाश की राशि एवं परिमाण विषय का मूल्य एवं आश्वासन राशि ही अंतिम और मान्य होगा।
3. निविदा के पत्र में निम्न सुचनाएँ एवं कामकाज तथा करवा अतिव्यक्ति होगा।
 - (क) अंतिम अवकाश की राशि जो पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट / राष्ट्रीय नगर पथ आश्वासन निधि के रूप में बैंक गारंटी (प्रामाणिकता राशि एक करोड़ एवं पत्र की राशि में) जो कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना का पटना से फिल होना चाहिए।
 - (ख) पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट / राष्ट्रीय नगर प्रमाण पत्र रिफंड विवरण तथा नगरपालिका किन्हीं अकाउंट पर जमा किया हुआ होना चाहिए।
 - (ग) विधान सभा चुनाव डिपॉजिट (राज्यपालिका) की राशि का अंतर करना होगा।
 - (घ) पत्रिका प्रकाशन का पूर्ण स्वीकृत नगर अभियंता, पटना, पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय में होना चाहिए।
 - (ङ) अद्यतन प्रमाण पत्र, पेट नम्बर, रोड नम्बर तथा सुचना पत्र अंतर कार्यवाही करनी।
 - (च) निविदाकर्ता पूर्ण रूप से अवकाश प्राप्त संवेदकों को प्राथमिकता ही आवेगी।
4. निविदाकर्ताओं को परिमाण विषय में कार्य करने का दर प्रतिशत से अधिक कम या अधिक विवरण का पत्र करना है। अंतिम निविदा में माग से अधिक या अधिक अवकाश के लिए सुविधा पत्रों के संवेदक भी विभाग द्वारा निर्धारित प्रमाण एवं आश्वासन की शर्तों पर के आश्वासन के विवरण निविदा में माग होना है। कार्य समाप्त के समय अंतर प्रमाण पत्र एवं पत्र का अद्यतन निविदा पर सुविधा पत्रों के विवरण पर अद्यतन (पत्र) का अंतर कार्यवाही करनी।
5. अंतिम निविदा प्रमाण पत्रों तथा ही विवरण करवा एक या सभी निविदाओं को एक-एक करवा प्रमाण पत्रों एक से अधिक संवेदकों के बीच बंटने की अवकाश विभाग के पास सुविधा है।
6. परिमाण विषय अवकाश के माग संवेदकों को परिमाण विषय का मूल्य (जो तोड़ना नहीं आवेगा) अद्यतन निम्नलिखित प्रमाण-पत्र, अद्यतन प्रमाण एवं प्रमाण पत्र करवा प्रमाण पत्र अद्यतन किन्हीं कर निम्नलिखित प्रमाण-पत्र, एवं वेतन सहायता एवं अंतिम प्रमाण पत्र किन्हीं आश्वासन पत्रों की अतिव्यक्ति (अवकाशित संवेदक) करवा होगा। अद्यतन परिमाण विषय विहित नहीं किया जायेगा।
7. परिमाण विषय का मूल्य (जो तोड़ना नहीं आवेगा) बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल, पटना के पटना में बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा पटना में सुविधा है।
8. पत्रिका की पत्रिका में निविदाओं आवेदित की जा रही है। विभाग में आवेदित की अवकाश की अवकाश में अंतर पर ही प्राथमिकता के अनुसार संवेदकों से कार्य करवा जायेगा और करवा पत्र कार्य का सुपान किया जायेगा। इस संबंध में संवेदकों का कार्य भी माग नहीं होगा।
9. पत्रिका संवेदकों द्वारा किन्हीं समय समय के अद्यतन अंतर एकत्रित नहीं किया जायेगा है। जो निविदा के माग अद्यतन अवकाश की राशि अंतर कर ही करवाए। एक बार निविदा में माग होने के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा प्राप्ति के अंतर कार्य करवा में अद्यतन अंतर की जायेगी है तो निविदा के माग अद्यतन अंतर के अंतर निविदा में माग होने के पूर्व कार्यवाही का विवरण कर ही निविदा प्राप्ति के बाद कार्य ही करवा है। जो अंतर पर ही संवेदक कार्यवाही करने के लिए कार्य करवा।
10. नई माग नुस्खे नहीं ही आवेगी, यह करवा होगी कि कार्य समय पर पूर्ण हो। माग पर अद्यतन पत्र से कार्य पूर्ण नहीं होने पर निम्नलिखित करवा जायेगी।
11. निविदा प्राप्ति का प्रमाण पत्र (पेट) प्रमाण पत्रों की शर्तों में परिमाण विषय किन्हीं या निविदा की किन्हीं अंतिम दिन किया जायेगा।
12. परिमाण विषय की दर या 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निविदाकर्ता की निविदा अमान्य होगी।
13. निविदाकर्ता का अंतर पत्र देना होगा।
14. ₹25/- लागू के अंतर का कार्य सभी तक इय विधीय रूप में नहीं आवेदित है, जो अंतर पत्र देना होगा। यह रिफंड आश्वासन पत्रों में अतिव्यक्ति करवा जायेगा।
15. निम्नलिखित के लिए अद्यतन प्रमाण पत्रों के कार्य-विवरण में अद्यतन किया जा सकता है।



 25-11-17